**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1857**

**04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यक्षमता और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना**

**1857. श्री कपिल सिब्बल:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कितने प्रतिशत केंद्र भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार पर्याप्त स्टाफ, उपकरण, दवाइयों और नैदानिक सुविधाओं के साथ पूर्णतः कार्यशील हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी कमी है; और

(ग) कम सुविधा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 24×7 आपातकालीन सेवाओं, प्रसूति संबंधी देखभाल और नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार पर्याप्त कर्मचारियों, उपकरणों, दवाओं और नैदानिक सुविधाओं के साथ कार्यशील हों।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के संबंध में ब्यौरा एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf

मंत्रालय ने 28 जून, 2024 को आईपीएचएस के तहत ओपन-सोर्स टूलकिट और वेब-आधारित डैशबोर्ड (www.iphs.mohfw.gov.in) तैयार करके शुरू किया है, ताकि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित सभी स्तरों की सुविधाकेंद्रों द्वारा स्व-मूल्यांकन को सुगम बनाया जा सके। आईपीएचएस डैशबोर्ड को आईपीएचएस 2022 मानकों के अनुपालन सहित जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है और रियल टाइम अद्यतन प्रदान करता है, जिससे कमियों की पहचान करने और समय पर कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए निगरानी और डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

26 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, आईपीएचएस ओडीके टूलकिट के माध्यम से सभी जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन किए गए सभी सुविधाकेंद्रों में से 64% स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

इसके अतिरिक्त, अल्पसेवित ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 आपातकालीन सेवाओं, प्रसूति परिचर्या और नैदानिक सुविधाकेंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय के सहयोग में मानव संसाधनों की भागीदारी, आवश्यक दवाओं, निदान और चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान, अवसंरचना को सुदृढ़ करना, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की स्थापना, 24x7 सेवाओं और प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) को सुनिश्चित करना, निःशुल्क निदान सेवा पहल, नि:शुल्क दवा सेवा पहल, बायोमेडिकल उपकरण रख-रखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) और अन्य गुणवत्ता सुधार पहलों का कार्यान्वयन शामिल है।

यह मंत्रालय एनएचएम के तहत 'नि:शुल्क निदान सेवा पहल' कार्यक्रम का भी सहयोग करता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के समीप सुलभ और किफायती पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाएं प्रदान करना है, जिससे रोगी की जेब से होने वाला व्यय (ओओपीई) कम होता है। जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों (उप केंद्रों पर 14 परीक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 97, उप जिला अस्पतालों में 111 परीक्षण और जिला अस्पतालों में 134 परीक्षण) के सभी स्तरों पर नैदानिक सेवाएँ नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रसूति परिचर्या के सुदृढ़ीकरण, व्यापक मातृ स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए प्रसव-पूर्व परिचर्या, संस्थागत प्रसव, कुशल प्रसव परिचर्या, बुनियादी और व्यापक आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (जहाँ आवश्यक हो सीज़ेरियन सेक्शन सहित), प्रसवोत्तर परिचर्या, रेफरल परिवहन, प्रसूति संबंधी जटिलताओं का प्रबंधन और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने और मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) तथा जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत नि:शुल्क मातृ स्वास्थ्य सेवाओं सहित सहायता प्रदान की जाती है।

******